$$
\begin{aligned}
& \text { No. } 42011 / 3 / 2014 \text {-Estt.(Res.) } \\
& \text { Government of India } \\
& \text { Ministry of Personnel. Public Grievances and Pensions } \\
& \text { Department of Personnel \& Training } \\
& * * * * \\
& \text { Dated the } 17^{\text {th }} \text { Nock, New Delhi }
\end{aligned}
$$

## Office Memorandum

Sub: Posting of Government employees who have differently tabled dependents - reg.
The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number dated 06.06 .2014 (copy enclosed) exempting a Government employee, who is also a care giver of disabled child, from the routine exercise of transfer/rotational transfer subject to the administrative constraints. The word 'disabled' includes (i) blindness or low vision (ii) hearing impairment (iii) locomotor disability or Cerebral Palsy (iv) leprosy cured (v) mental retardation (vi) mental illness and (vii) multiple disabilities.
2. The matter regarding the scope of 'disabled' has been examined in consultation with the Department of Disability Affairs. Considering the fact that the autism spectrum disorder child requires constant caregiver support and it would be imperative for the Government employees to take care of their autism spectrum disorder child on continuous basis, it has been decided to include 'Autism' in the term 'disabled', as defined in Para 3 of the above-mentioned O.M. dated 06.06.2014.
3. This issues with the approval of the $\operatorname{MoS}(\mathrm{PP})$.
4. All'the Ministries/Departments, etc. are requested to bring these instructions to the notice of all concerned under their control.
G. SEMJRan
(G. Srinivasan)

Encl: As above
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tell: 23093074

## To

(i) All Ministries/Departments of the Government of India.
(ii) Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi, in respect of Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies.
(iii) Department of Public Enterprises, CGO Complex, New Delhi, in respect oi Central Public Sector Enterprises.
(iv) Railway Board/Union Public Service Commission'2upreme Court of India/Election Commission/LokSabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission/C\&AG.
(v) Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
(vi) Office of the Chief Commissioner for Disabilities, Sarojini House, New Delhi.

Copy to: Tech. Director, NIC, DoP\&T for uploading on the website of this Department.

# 1 10 42011/3/2014-Estit(Ree) <br> Govermatat of mode <br> Mmistry of Personnel, Fublic Grievaroes and Persicas <br> Department of Persomel and Tramine 

North Block, New Delhi
Dated the $6^{\text {th }}$ June, 2016

## OFFLCE MERERANDUR

Sub: Posting of Government employees who have differently abled dependents - reg.

There has been demand that a Government employee who is a care giver of the disabled child may not have to suffer due to displacement by means of routine transfer/rotational transfers. This demand has been made on the ground that a Government employee raises a kind of support system for his/her disabled child over a period of time in the locality where he/she resides which helps them in the rehabilitation.
2. The matter has been examined. Rehabilitation is a process aimed at enabling persons with disabilities to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, and psychiatric or a social functional level. The support system comprises of preferred finguistic zone, school/academic level, administration, neighbours, tutors/special educators, friends, medical care including hospitals, therapists and doctors, etc. Thus, rehabilitation is a continuous process and creation of such support system takees years together.
3. Considering that the Government employee. who has disabled child serve as the main care giver of such child, any displacement of such Government employee will have a bearing on the systemic rehabilitation of the disabled child since the new environment/set up coutd prove to be a hindrance for the rehabilitation process of the child. Therefore, a Government servant who is also a care giver of disabled child may be exempted from the routine exercise of transier/rotational transier subject to the administrative constraints. The word disabled' includes (i) blindness or low vision (ii) hearing impairment (iii) locomotor disability or Cerebral Palsy (iv) leprosy cured (v) mental retardation (vi) mental illness and (vii) multiple disabilities.
4. Upbringing and rehabilitation of disabled child requires financial support. Making the Government employee to choose voluntary retirement on the pretext of routine transfer/rotation

```
trensier would have adverse impaci on the rehsblitation proces: (%
```

the distbled chid.
5. This iscues with the approver onoser
6. All the Ministries/Deperments, tic, are requested to Drife these instructions to the notice of all concemed under their control.

(Debabrate Dasi)
Under Secretary to the Govi. of Indie
Tel. No. 23093307
To
(i) All Ministries/Departments of the Government of India.
(ii) Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi, in respect of Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies.
(iii) Department of Public Enterprises, CGO Complex,Nëw Delhi," in respect of Central Public Sector Enterprises.
(iv) Railway Board/Union Public Service Commission/Supretine Court of India/Election Commission/ LokSabha Secretariat/RajaySabha Secretariat/Central Vigilanne Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission/CoAG.
(v) Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
(vi) Office of the Chief Commissioner for Disabilities, Sarojini House, New Delhi.

Copy to: Tech. Director, NIC, DOPT for uploading on the website of this Department.

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः विकलांग आभ्रितों वाले सरकारी कर्मचारियों की तैनाती जिनके आश्रित विकलांगों के संबंध में।
अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 06.06.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें विकलांग बच्चे की देखभाल करने वाले सरकारी कर्मचारी को प्रशासनिक बधाओं के अधीन नेमी स्थानांतरण/चक्रानुक्रमिक स्थानांतरण से छूट दी गई है। 'विकलांग’ शब्द में (i) दृष्टिहीनता या अल्पदष्टि (ii) बधिरता (iii) गतिहीनता अथवा प्रमस्तिष्किय पक्षाघात (iv) कुष्ठरोग से मुक्ति (v) मानसिक विकलांगता (vi) मानसिक रूप से बीमार और (vii) विविध विकलांगता शामिल हैं।
2. 'विकलांग’ के दायरे के संबंध में विकलांगता मामले विभाग के परामर्श से जांच की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऑस्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीडित बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति को उसे लगातार सहायता की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए सरकारी कर्मचारियों को ऑस्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीडित बच्चे को सतत आधार पर देखभाल करने की आवश्यकता आवश्यक होगी, यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 06.06.2014 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में यथापरिभाषित ‘विकलांग’ शब्द में आस्टिज्म को शामिल किया जाए।
3. इसे कार्मिक राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
4. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

संलग्नकः यथोपरि
(जी. श्रीनिवासन) उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23093074
प्रति
i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
ii. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संबंध में, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को।
iii. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली को।
iv. रेलवे बोर्ड/संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक।
v. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
vi. मुख्य विकलांगता आयुक्त का कार्यालय, सरोजनी हाऊस, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

$$
\begin{aligned}
& \text { सं. } 42011 / 3 / 2014 \text {-स्था.(आरक्षण) } \\
& \text { भारत सरकार } \\
& \text { कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय } \\
& \text { कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग }
\end{aligned}
$$

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 6 जून, 2014

## कार्यालय ज्ञापन

## विषयः ऐसे सरकारी कर्मचारियों की तैनाती के संबंध में जिनके पास विकलांग आश्रित हो।

यह मांग की जाती रही है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी को रूटिन स्थानांतरण/चक्रानुक्रमिक स्थानांतरण के माध्यम से विस्थापन के कारण कष्ट नहीं दिया जाए जो विकलांग शिशु की देखभाल कर रहा हो। यह मांग इस आधार पर की जाती रही है कि समय के साथ सरकारी कर्मचारी उस क्षेत्र में जहां वह निवास करता है/करती है, वहां अपने विकलांग बच्चे के लिए वह एक प्रकार की सहयोग-व्यवस्था बना लेता है/लेती है जिससे उन्हें पुनर्वास में सहायता प्राप्त होती है।
2. मामले पर विचार किया गया है। पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य विकलांगों को अपने शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और मानसिक या सामाजिक क्रियात्मक स्तर को इष्टतम रूप में प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए समर्थ बनाना है। यह सहयोग-व्यवस्था, बेहतर भाषा संबंधी क्षेत्र, विद्यालय/अकादमिक स्तर, प्रशासन, पड़ोसी, शिक्षक/विशेष शिक्षक, मित्र, चिकित्सालयों, थेरेपिस्टों और चिकित्सकों आदि सहित चिकित्सा सेवा से मिलकर बनती है। अतः पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है एवं ऐसी सहयोग-वयवस्था बनाने में वर्षों लग जाते हैं।
3. इस बात को ध्यान में रखा गया है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसके पास एक विकलांग बच्चा है और वही मुख्य रूप से बच्चे की देखभाल करने वाला है, के किसी भी प्रकार के विस्थापन से उसके विकलांग बच्चे के व्यवस्थित पुनर्वास पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि नया परिवेश/व्यवस्था उस बच्चे की पुनर्वास प्रक्रिया के लिए एक बाधा साबित हो सकती है। अतः उस सरकारी कर्मचारी, जो एक विकलांग बच्चे की देखभाल भी करता है, को प्रशासनिक बाधाओं के अधीन, नेमी स्थानांतरण/चक्रानुक्रमिक स्थानांतरण से छूट दी जा सकती है। ‘विकलांग’ शब्द में (i) दृष्टिहीनता या अल्पदृष्टि (ii) बधिरता (iii) गतिहीनता अथवा प्रमस्तिष्किय पक्षाघात (iv) कुष्ठरोग से मुक्ति (v) मानसिक विकलांगता (vi) मानसिक रूप से बीमार और (vii) विविध विकलांगता शामिल हैं।
4. विकलांग बच्चे के पालन-पोषण एवं पुनर्वास के लिए वित्तीय सहयोग अपेक्षित होता है। नेमी स्थानांतरण/चक्रानुक्रमिक स्थानांतरण के बहाने सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का चुनाव करवाने पर विकलांग बच्चे की पुनर्वास प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
5. इसे कार्मिक राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
6. सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।
(देबब्रत दास)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23093307

प्रति
i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
ii. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संबंध में, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को।
iii. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली को।
iv. रेलवे बोर्ड/संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक।
v. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
vi. मुख्य विकलांगता आयुक्त का कार्यालय, सरोजनी हाऊस, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलेड करने के लिए।

